



2026:AHC:54800

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 260/2026

मोहम्मद सद्दाम

..... पुनरीक्षणयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणयाची(गण) के अधिवक्ता : शरद श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

चैम्बर में

दिनांक 26.02.2026 को आरक्षित

दिनांक 18.03.2026 को सुनाया गया

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शरद श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , न्यायालय संख्या 2, मऊ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मामले संख्या 86/2017 (अफसाना बनाम मोहम्मद सद्दाम) में दिनांक 14.10.2020 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है , जिसमें माननीय परिवार न्यायालय ने प्रतिपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश दिया है।
3. इस पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणयाची और प्रतिपक्षी संख्या 2 का विवाह 07.06.2015 को मुस्लिम रीति- रिवाजों के अनुसार सं पन्न हुआ था। इसके बाद ,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मामला संख्या 86/2017 के रूप में एक याचिका दायर की, जिसमें 10,000/- रुपये प्रति माह के भरण-पोषण की मांग की गई थी। यह याचिका 17.02.2017 को दायर की गई थी।

4. याचिका में आरोप लगाया गया था कि विवाह के समय उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज की वस्तुएं और आभूषण दिए थे। हालांकि, विवाह के बाद याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दहेज को लेकर असंतोष व्यक्त किया और 2,00,000/- रुपये और एक पावर लूम की मांग की, जिसके कारण उसे क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने उसे उसके मायके भेज दिया था।

5. आगे आरोप लगाया गया कि 20.11.2016 को ग्राम समझौते के तहत उसे वापस उसके मायके लाया गया, जहां वह लगभग दो महीने तक रही। इस दौरान भी कथित तौर पर दहेज के लिए उसे उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा और याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने उसका स्त्रीधन अपने पास रख लिया। 24.01.2017 को कथित तौर पर उसे मायके से निकाल दिया गया। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि 25.01.2017 को एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने उसे पत्नी के रूप में रखने से इनकार कर दिया और पुनर्विवाह करने की धमकी दी। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6. आगे यह दलील दी गई कि प्रतिपक्षी संख्या 2 की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और उसके पिता आर्थिक रूप से उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। उसके अनुसार, याचिकाकर्ता के पास पांच बिजली करघे हैं और वह प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक कमाता है, इसलिए उसने प्रति माह 10,000 रुपये के भरण-पोषण की मांग की।

7. याचिकाकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लिखित बयान दाखिल करके याचिका का विरोध किया। उसने कहा कि प्रतिपक्षी संख्या 2 विवाह के बाद केवल चार दिनों तक और उसके बाद लगभग दो महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए वैवाहिक घर में रही, और इस दौरान वह याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों से अक्सर झगड़ा करती थी और इस बात पर जोर देती थी कि उसे अपने वृद्ध माता-पिता से अलग रहना चाहिए। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भी आरोप लगाया गया कि वह मोबाइल फोन पर अन्य लोगों से बात करती थी और अपशब्दों का प्रयोग करती थी।

8. याचिकाकर्ता ने दहेज की मांग , क्रूरता, कथित पंचायत और 24.01.2017 की घटना से संबंधित आरोपों का खंडन किया। उसके अनुसार , प्रतिपक्षी संख्या 2 स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़कर चली गई और वापस लौटने से इनकार कर दिया। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 करघा चलाकर कमाने में सक्षम है और लगभग 7,000 रुपये प्रति माह कमाती है , जबकि याचिकाकर्ता स्वयं एक कपड़े की दुकान में मजदूर के रूप में काम करता है और लगभग 5,000 रुपये प्रति माह कमाता है और अपने वृद्ध माता- पिता के भरण-पोषण के लिए एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।

9. माननीय पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान , प्रतिपक्षी संख्या 2 ने स्वयं को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में पेश किया और निकाहनामा सहित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपना शपथपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद , याचिकाकर्ता ने न तो गवाह से जिरह की और न ही कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया।

10. अभिवेदनों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद , माननीय पारिवारिक न्यायालय ने माना कि प्रतिपक्षी संख्या 2 पर्याप्त कारण से याचिकाकर्ता से अलग रह रही थी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक पत्नी आमतौर पर उचित कारण के बिना वर्षों तक अपने पति से अलग नहीं रहती है और याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि उसने बिना कारण के वैवाहिक घर छोड़ा था। पारिवारिक न्यायालय ने *सिराज मोहम्मद खान बनाम हाफीजुन्निसा यासिनखान (1981) 4 एससीसी 250* और *श्रीमती सावित्री पांडे बनाम जिला न्यायाधीश , पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद, 2004 एससीसी ऑनलाइन ऑल 167* में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा किया , जिसमें यह माना गया है कि क्रूरता और दहेज उत्पीड़न पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

11. माननीय पारिवारिक न्यायालय ने आगे यह भी दर्ज किया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 की आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा कि वह करघा चलाकर लगभग 7,000 रुपये प्रति माह कमा रही थी , किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आय के संबंध में असंगत रुख अपनाया था। जबकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पास कई बिजली करघे हैं और वह 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह एक मजदूर के रूप में केवल 5,000 रुपये प्रति माह कमाता है।

12. समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए, माननीय पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आय क्षमता लगभग 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये प्रति माह आंकी और प्रतिपक्षी संख्या 2 को मामले की बहाली की तिथि, अर्थात् 28.01.2020 से 2,000/- रुपये प्रति माह और आक्षेपित आदेश की तिथि से 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से भरण-पोषण का आदेश दिया, जो उसके जीवनकाल या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, देय होगा।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उचित अवसर दिए बिना, अनुमानों और अटकलों के आधार पर भरण-पोषण की राशि निर्धारित की है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था और पर्याप्त कारण के बिना वैवाहिक घर छोड़ दिया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 एक कमाने वाली महिला है और इसलिए भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

14. दलीलें सुनने और अभिलेख की जांच करने पर, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप को उचित ठहराए।

15. पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध निर्विवाद है। कार्यवाही धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत उत्पन्न होती है, जो एक सामाजिक कल्याण प्रावधान है जिसका उद्देश्य दरिद्रता और बेघरपन को रोकना है। इसलिए इस प्रावधान की व्याख्या आश्रित पति या पत्नी के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए।

16. इस मुद्दे पर कि क्या प्रतिपक्षी संख्या 2 पर्याप्त कारण से अलग रह रही थी, माननीय परिवार न्यायालय ने पत्नी की अप्रतिबंधित गवाही के आधार पर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि वह क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का शिकार थी। पत्नी ने अपने शपथपत्र और न्यायालय के समक्ष मौखिक बयान के माध्यम से अपने मामले का समर्थन किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अवसर दिए जाने के बावजूद, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने न तो उससे जिरह की और न ही *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किया। चूंकि पत्नी की गवाही को चुनौती नहीं दी गई थी , इसलिए माननीय परिवार न्यायालय का उस पर भरोसा करना उचित था।

17. याचिकाकर्ता का यह दावा कि पत्नी ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था , मात्र एक निराधार आरोप है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। मात्र दलील प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती। इसलिए , इस मामले पर माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष तर्कसंगत हैं और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं।

18. यह तर्क कि पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी , याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य शर्त नहीं है। कई महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण तुरंत आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करती हैं। इसलिए , ऐसी शिकायत का अभाव अपने आप में क्रूरता के दावे या अलग रहने के पर्याप्त कारण को नकार नहीं सकता।

19. प्रतिपक्षी संख्या 2 के कमाने वाली महिला होने का दावा भी निराधार है। याचिकाकर्ता ने केवल यह दावा किया है कि वह लगभग 7,000 रुपये प्रति माह कमाती है , इसके अलावा उसने इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। न तो किसी गवाह की जांच की गई है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखा गया है। सबूतों के अभाव में , ऐसा आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता।

20. दूसरी ओर, माननीय परिवार न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 की आय का कोई स्थापित स्वतंत्र स्रोत नहीं था और वह अपने मायके पर निर्भर थी। यह निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. भरण-पोषण की राशि के संबंध में , माननीय परिवार न्यायालय ने संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि पत्नी ने 10,000 रुपये प्रति माह की मांग की थी , लेकिन न्यायालय ने एकतरफा आदेश को वापस लेने की तारीख से केवल 2,000 रुपये प्रति माह और आक्षेपित आदेश की तारीख से 3,000 रुपये प्रति माह ही भरण- पोषण के लिए दिए। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में , इतनी राशि को अत्यधिक कहना मुश्किल है ; बल्कि यह केवल बुनियादी जीवन निर्वाह के लिए ही दी जाने वाली एक मामूली राशि है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



22. यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय पारिवारिक न्यायालय ने आवेदन दाखिल करने की तारीख से भरण-पोषण का आदेश नहीं दिया है, बल्कि मामले की बहाली की तारीख, यानी 28.01.2020 से ही दिया है, जो स्वयं दर्शाता है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की देनदारी तय करते समय संयम और निष्पक्षता बरती है।

23. याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह केवल 5,000/- रुपये प्रति माह कमाता है और उसे वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करना है, विश्वसनीय सबूतों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई पति केवल आर्थिक कठिनाई के अस्पष्ट दावे करके अपनी पत्नी के भरण-पोषण के वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता। जब तक मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत आने वाली अयोग्यताओं के दायरे में नहीं आता, पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व बना रहता है।

24. वर्तमान मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत कोई अयोग्यता सिद्ध नहीं हुई है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी या उसने पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। जब तक विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष विकृत, अवैध या साक्ष्य के अभाव पर आधारित न हों, यह न्यायालय सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करेगा। माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित हैं और उनमें कोई स्पष्ट अवैधता नहीं है।

25. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण प्रदान करने का विवादित आदेश न्यायसंगत, उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

26. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

27. माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 2, मऊ द्वारा दिनांक 14.10.2020 को वाद संख्या 86/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है। याचिकाकर्ता प्रतिपक्षी संख्या 2 को उक्त आदेश के अनुसार भरण-पोषण का भुगतान करता रहेगा और यदि कोई बकाया हो तो उसका विधिवत भुगतान करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

18 मार्च, 2026

(सचिन मिश्रा)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।